

ई-कॉमर्स फूड बिज़नेस ऑपरेटरों को FSSAI के नरिदेश

स्रोत: द हट्टि

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने **ई-कॉमर्स** खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को अपनी वेबसाइट पर खाद्य उत्पादों को सही ढंग से वर्गीकृत करने का नरिदेश दिया है ।

- प्राधिकरण ने ऐसे मामले देखे जहाँ लाइसेंस प्राप्त उक्त **"स्वामित्व वाले खाद्य पदार्थ (Proprietary Foods)"**, जैसे कडियरी-आधारित, अनाज-आधारित और माल्ट-आधारित पेय मशरुण आदिको गलत तरीके से चहिनति करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर स्वास्थ्य या ऊर्जा पेय के रूप में बेचा गया ।
 - खाद्य उत्पादों को स्वामित्व खाद्य पदार्थ माना जाता है **यदि FSSAI नियमों में उनके लिये कोई मानक मौजूद नहीं है ।**
- FSSAI ने स्पष्ट किया कि **"स्वास्थ्य पेय (Health Drink)"** को **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत कहीं भी परभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है तथा इसके अलावा FBO को ऐसे उत्पादों को कानून के अनुसार, उचित श्रेणी में रखकर इस गलत वर्गीकरण को सुधारने की सलाह दी है ।
 - साथ ही FSSAI ने आगे कहा कि **'एनर्जी ड्रिक्स'** शब्द का इस्तेमाल केवल उन उत्पादों के लिये करने की अनुमति है, जिनमें उस विशिष्ट खाद्य श्रेणी प्रणाली के तहत लाइसेंस दिया गया है ।

और पढ़ें: [FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा वनियमों को सुव्यवस्थति करने पर वचिर](#)